



फ़ा.सं. 46-1/2021-डीजेएसएस (एमएसडीई)  
भारत सरकार  
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

## शुद्धिपत्र

कौशल विकास के लिए जन शिक्षण संस्थान (एनजीओ) की स्थापना हेतु रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

यह नए जेएसएस की स्थापना के लिए रुचि की अभिव्यक्ति के संबंध में दिनांक 22 मई 2022 के समाचार पत्रों (दैनिक) में प्रकाशित मंत्रालय की सूचना के संदर्भ में है।

पिछले नोटिस के नियम और शर्तों को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

- एफसीआरए शर्त अनिवार्य होने के बजाय वैकल्पिक है। यदि किसी गैर सरकारी संगठन को अतीत में कोई विदेशी धन प्राप्त हुआ है, या भविष्य में प्राप्त करने का इरादा रखता है, तो उन्हें एफसीआरए अनुमोदन प्रस्तुत करना होगा।
- बैंक गारंटी 18 महीने के लिए 30 लाख रुपये के बजाय 12 महीने के लिए 20 लाख रुपये की होगी।
- ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख **10 जुलाई 2022** तक बढ़ा दी गई है।

हेत राम  
अवर सचिव